

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक.-पं.11(73)शिक्षा-6/2020

जयपुर, दिनांक.-28/09/2021

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:-शहीदों के नाम से पूर्व पदनाम लगाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-शिविरा-माध्य/साप्र/डी-1/3379/श.ना./अजमेर/2019
दिनांक 22.12.2020 एवं 21.09.2021

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में शहीदों के नाम से जारी की जाने वाली स्वीकृति में वर्तमान में प्रचलित/प्रभावी नीति के अनुसार शहीदों के नाम से पूर्व पदनाम लगाये जाने का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में प्रभावी/प्रचलित नीति (दिशा-निर्देश) अनुसार ही इस प्रकरण में राक्षस अनुमोदनोपरान्त शहीद के नाम से विद्यालय का नामकरण किया गया है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



भवदीय,

(सो. सलीम खान)
शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/साप्र/डी-1/श0ना0/विविध/2018/

दिनांक:- 12/11/2021

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. शासन सहायक सचिव, शिक्षा(ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक प. 11(73)शिक्षा-6/ 2019 जयपुर, दिनांक 28.09.2021 के क्रम में।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में नामकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय पदनाम का उपयोग न करें।
6. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी।
7. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
8. समस्त सरथा प्रधान को पालनार्थ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर